समाहरणालय, चतरा।
(जिला पंचायत शाखा)

विज्ञापन– 01/2021–22

सूचना

15वें वित्त आयोग अनुदान अन्तर्गत अनुमान्य अनिवार्य गतिविधियों के संचालन के निमित पंचायतों में ग्रामीण निवासियों को सेवाएँ प्रदान करने के क्रम में पंचायतों में कनीय अभियंता एवं लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में सेवा प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकार से आरक्षण रोस्टर स्वच्छ होने की प्रत्याषा में जिला स्तरीय पैनल में चयन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से निम्न सेवाओं हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते है :–

क्र0	सेवा का नाम	पद की संख्या	आरक्षण वर्ग				
			ST	SC	BC-I	BC-II	UR
1	2	3	4	5	6	7	9
1	कनीय अभियंता	24	2	4	4	2	12
2	लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर	30	2	5	5	3	15

2. आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया :

(a) पैनल में चयन हेतु आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में भरें जायेंगे जिसे जिले के वेबसाईट www.chatra.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

(b) आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते है। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग–अलग आवेदन पत्र समर्पित करना होगा एवं पदवार अलग–अलग शुल्क जमा करना होगा।

(c) आवेदन पत्र ई–मेल के माध्यम से भी समर्पित किया जा सकता है। परन्तु इसकी भी प्रति स्पीड पोस्ट एवं निबंधित डाक से कार्यालय अवधि में भेजे जाने होंगे। ई–मेल पता **panchayatrajrequirement2021@gmail.com** डाक का पता– **जिला पंचायत राज कार्यालय, (विकास भवन द्वितीय तल्ला), चतरा।**

(d) आवेदन पत्र दिनांक 23.03.2021 की संध्या 5.00 बजे तक ही स्वीकार होगा।

(e) आवेदक को आवेदन के साथ पद के अनुरूप शुल्क का भुगतान करना होगा, जो निम्नवत् होगा :–

क्रमांक	पद का नाम	शुल्क की राषि	कोटि
1	कनीय अभियंता	500/– रूपये	सामान्य
		300/– रूपये	अ0जा0, अ0ज0जा0 एवं महिला
2	लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर	500/– रूपये	सामान्य
		300/– रूपये	अ0जा0, अ0ज0जा0 एवं महिला

(f) आवेदक को आवेदन के साथ पद के अनुरूप शुल्क का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ''जिला पंचायत राज पदाधिकारी, चतरा'' के पदनाम से चतरा में भुगतेय Original Bank Draft के माध्यम से देना होगा। आवेदक का नाम एवं पता बैंक ड्राफ्ट के Overleaf पर लिखना अनिवार्य होगा।

(g) आवेदन जमा करने की तिथि – 17 मार्च 2021 से 23 मार्च 2021 तक।

3. कार्मिक प्रषासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 2249, दिनांक 03.04.2018 एवं संकल्प संख्या 5555/रॉची, दिनांक 28.06.2016 के आलोक में दिव्यांग जनो, आदिम जनजाति एवं महिला को क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।

4. सेवा अनुबंध हेतु पैनल में चयन हेतु योग्यता एवं अन्य शर्तो से संबंधित विवरणी जिले के वेबसाईट www.chatra.nic.in पर देखा जा सकता है।

उपायुक्त,
चतरा।